2010:CGHC:8353

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) सं.131/2005

याचिकाकर्ता केजू प्रसाद चौबे

विरुद्ध

उत्तरवादी मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक : 3 दिसम्बर, 2010 को सूचीबद्ध करें

सही/-

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्र.131/2005

याचिकाकर्ता केजु प्रसाद चौबे

विरुद्ध

उत्तरवादी मध्यप्रदेश राज्य एव अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल, श्रीमती इतु रानी मुखर्जी के साथ — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता — राज्य की ओर से।

श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से।

आदेश

(दिनांक 3.12.2010 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने यह प्रार्थना की है कि अंतिम चयन सूची के प्रकाशन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाएँ तथा उक्त पद हेतु किसी अन्य भर्ती पद्धति का सहारा लिये जाने से पूर्व अंतिम चयन सूची को पूर्णतः उपयोग कर

रिक्त पड़े हुए *नायब तहसीलदार* के पदों को भरा जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि उत्तरवादी क्र.1 को अनिवार्य *कोटा नियम* के अनुसार नियम 6 (क) (2) का पालन करने तथा प्रत्येक वर्ष *सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा* आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाए। याचिका की लंबितावस्था के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी राहत प्रार्थित की कि उत्तरवादियों को निर्देशित किया जाए कि 56 पद *नायब तहसीलदार* के जो रिक्त हो रहे हैं उन्हें भरा न जाए तथा उन पदों को रिक्त ही रखा जाए जब तक कि चयन सूची (परिशिष्ट R-1) के 25% चयनित अभ्यर्थियों का उपयोग न हो जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि उत्तरवादियों को यह आदेशित किया जाए कि 10% कोटा को बढ़ाकर 25% किया जाए जैसा कि *मध्यप्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा नियम, 1980* (संक्षेप में "1980 के नियम") के नियम 6 में विनिर्दिष्ट है, इसे *अल्ट्रा वायरस* , भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक घोषित किया जाए तथा याचिकाकर्ता की नियुक्ति एवं पदस्थापना नायब तहसीलदार पद पर की जाए और उसे समस्त वेतन-भत्तों के परिशिष्ट का भुगतान भी किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. बहस के समय, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने, तथापि, अपने निवेदन को केवल एक पहलू तक ही सीमित रखा तथा अन्य सभी प्रार्थनाओं को त्याग दिया।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वैधानिक वैधता संबंधी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है और याचिकाकर्ता का एकमात्र निवेदन यह है कि उत्तरवादी

क्र.4, जो मात्र एक *ब्रैड्मा परिचालक (Bradma Operator)* है और राजस्व मंडल अथवा कलेक्टर अथवा आयुक्त के कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों में सम्मिलित नहीं है, वह नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं था। याचिकाकर्ता चयन सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, अतः उत्तरवादियों को यह निर्देशित किया जाए कि याचिकाकर्ता को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया जाए तथा उसे समस्त परिणामी लाभ प्रदान किये जाएँ।

4. इस याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय याचिकाकर्ता राजस्व विभाग में अधीनस्थ श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत था तथा तहसील कार्यालय बालोद में पदस्थ था। नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रासंगिक समय में 1980 के नियमों द्वारा विनियमित थी। उक्त नियमों के नियम 6 (2) के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि नायब तहसीलदार के पदों में से 10% पद सीधी भर्ती द्वारा राजस्व मंडल, आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारियों में से चयन करके भरे जाएँगे जैसा कि अनुसूची-V में प्रदत्त है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के उद्देश्य से नियम बनाए गए तथा अधिसूचना दिनांक 28 मई 1985 (परिशिष्टक A-1) द्वारा प्रकाशित किए गए। तत्पश्चात् अधिसूचना दिनांक 31.3.1986 (परिशिष्टक A-2) द्वारा राजस्व मंडल, आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालय में कार्यरत पात्र लिपिकीय श्रेणी के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा पूर्ववर्ती 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन सम्मिलित था। आदेश दिनांक 23.6.1987 (परिशिष्टक A-5) एवं 29.10.1987 (परिशिष्टक A-6) द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 सहित 45 एवं 47 व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया। चूँकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं हुई, उसने परिशिष्टक A-7, A-8 एवं A-9 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

5. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता का एकमात्र निवेदन यह है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 जो ब्रैडमा प्रचालक के पद पर कार्यरत था, नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं था क्योंकि उसका पद 1980 के नियमों में उल्लिखित "लिपिकीय श्रेणी पद" के रूप में नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि नियम 6 (1) (ii) में निहित उपबंध स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि नायब तहसीलदार के 10% पदों पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती केवल राजस्व मंडल, आयुक्तों और कलेक्टरों के कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों से ही होगी। उसका यह भी कहना है कि ब्रैडमा प्रचालक केवल नवनियोजित मशीनों, जिन्हें विभिन्न राजस्व कार्यालयों में ब्रैडमा मशीन के रूप में स्थापित किया गया था, के संचालन के लिए नियुक्त किए गए थे और ब्रैडमा प्रचालक का पद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विभाग की लिपिकीय श्रेणी के पदों के बाहर है। इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 4 को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और न ही उसे नायब तहसीलदार के 10% कोटे के अंतर्गत चयनित अथवा नियुक्त किया जा सकता था तथा यह नियमों का उल्लंघन है।

6. यह निवेदन किया गया है कि इस याचिका की लंबितावस्था के दौरान आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 2.4.2009 का पत्र जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि ब्रैडमा प्रचालक का पद मंत्रालयीन (लिपिकीय श्रेणी) पदों में सम्मिलित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सांविधिक नियमों में निहित प्रावधानों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और न ही ब्रैडमा प्रचालक को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की है – **जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, विजयनगरम सामाजिक कल्याण आवासीय विद्यालय समिति, विजयनगरम एवं अन्य विरुद्ध एम. त्रिपुरा सुंदरि देवी[1], भारतीय विधि परिषद् विरुद्ध प्रबन्ध मंडल, दयानंद विधि महाविद्यालय एवं अन्य[2]तथा कर्नाटक राज्य के सचिव एवं अन्य विरुद्ध उमा देवी (तीसरा) एवं अन्य [3][3] /**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (1990) 3 SCC 655
[2] (2007) 2 SCC 202
[3] (2006) 4 SCC 1

(7) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि 1980 के नियमों के नियम 6 (1) (ii) में निहित उपबन्धों में राजस्व मंडल, आयुक्त एवं कलेक्टर के कार्यालय में लिपिकीय श्रेणी के पद पर आसीन सभी कर्मचारियों को सम्मिलित किया जायेगा, जिसमें ब्रैडमा ऑपरेटर का पद भी सम्मिलित होगा क्योंकि ब्रैडमा ऑपरेटर का पद मात्र लिपिकीय पद है। यह निवेदन किया गया कि राजस्व कार्यालयों के उत्तम कार्य और सुचारू संचालन तथा राजस्व अभिलेखों की तैयारी हेतु ब्रैडमा मशीनें स्थापित की गयीं और उन मशीनों को संचालित करने के लिये ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता उत्पन्न हुई जो ब्रैडमा मशीनों का संचालन कर सकें, जिससे ब्रैडमा ऑपरेटरों की नियुक्ति हुई। उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि चूँकि ब्रैडमा ऑपरेटर द्वारा संपादित कार्य का स्वरूप मात्र लिपिकीय है और ब्रैडमा ऑपरेटर के पदों का वेतनमान लिपिकों के वेतनमान के समतुल्य है, अतः उत्तरवादी क्रमांक 4 की उम्मीदवारी को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति हेतु विचाराधीन रखने तथा चयन उपरान्त उसे नियुक्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) आगे यह निवेदन किया गया कि दिनांक 31 जनवरी 1984 (परिशिष्ट-आर-II) के ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के राजस्व विभाग ने यह स्पष्ट किया कि ब्रैडमा ऑपरेटर ब्रैडमा मशीनों पर उभारने एवं मुद्रण का कार्य करते हैं जो कि

लिपिकीय कार्य है और इस आधार पर उन्हें राजस्व निरीक्षकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता और न ही वे राजस्व निरीक्षक के वेतनमान के अधिकारी हैं। यह भी निवेदन किया गया कि चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 133 पर रखा गया था, जबकि 10% कोटे के अन्तर्गत मात्र 92 पद भरे जाने थे, अतः किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता नायब तहसीलदार पद पर ऐसी नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता से ऊपर अनेक अन्य चयनित अभ्यर्थी थे।

(9) उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति के निरस्तीकरण हेतु कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गयी है, इसलिये याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध ऐसे किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है। आगे उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता का दावा पूर्णतः मिथ्या है और याचिकाकर्ता पीड़ित पक्षकार नहीं है, क्योंकि चयन सूची में याचिकाकर्ता क्रमांक 133 पर रखा गया था, जबकि कुल 92 पद भरे जाने थे जिनमें सामान्य वर्ग से मात्र 86 पद उपलब्ध थे। यह निवेदन किया गया कि यह याचिका 1989 से लंबित है, अतः याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति को निरस्त करने के अनुतोष का अधिकारी नहीं है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि दिनांक 31 जनवरी 1984 (परिशिष्ट-आर 4/1) के शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पत्र के आलोक में ब्रैडमा ऑपरेटर का पद लिपिकीय श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रैडमा ऑपरेटर लिपिकीय पद हैं। यह भी निवेदन किया गया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने *संतोष गुप्ता एवं अन्यगण विरुद्ध राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्यगण* तथा *म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ विरुद्ध राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्यगण* मामलों में दिनांक 7 अप्रैल 1994 को पारित निर्णय (एल.पी.ए. क्रमांक 12 एवं 13/1986) में यह घोषित किया कि शासन के रुख के आलोक में ब्रैडमा ऑपरेटरों को उच्च श्रेणी लिपिक/टंकक के समान माना जायेगा और उनके कार्य का स्वरूप मात्र लिपिकीय है तथा न्यायालय ने ब्रैडमा ऑपरेटरों को उच्च श्रेणी लिपिक को प्रदत्त वेतनमान देने का निर्देश दिया। उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **मिथिलेश गर्ग एवं अन्यगण विरुद्ध भारत संघ एवं अन्यगण[4], डॉ. एम.एस. मुद्होल एवं अन्य विरुद्ध एस.डी. हालेगकर एवं अन्यगण[5], मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विरुद्ध महेश प्रकाश एवं अन्यगण[6] तथा हरि नन्दन शरण भटनागर विरुद्ध एस.एन. दीक्षित एवं अन्य [7]प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयों का भी अवलंब लिया है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) यद्यपि कुछ हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, तथापि कोई भी हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित नहीं है।

---

[4] (1992) 1 SCC 168
[5] (1993) 3 SCC 591
[6] (1995) 1 SCC 203
[7] (1969) 2 SCC 245

(11) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन समझने हेतु कि 1980 के नियम ब्रैडमा ऑपरेटर को सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार के 10% रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विचार करने की अनुमति नहीं देते, 1980 के नियमों में निहित प्रासंगिक उपबन्धों का परीक्षण आवश्यक है। 1980 के नियमों का नियम 6 नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति के विविध प्रकार का उपबन्ध करता है। नियम 6 (1) (क) नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति के तीन प्रकार का उपबन्ध करता है। उसमें उपबन्ध (i) यह प्रावधान करता है कि नायब तहसीलदार के 70% पदों को लोक आयोग द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से भरा जायेगा। उपबन्ध (ii) यह प्रावधान करता है कि नायब तहसीलदार के 10% पदों को 1980 के नियमों के परिशिष्ट-5 में निहित उपबन्धों के अनुसार राजस्व मंडल, आयुक्तगण एवं कलेक्टरों के कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों में से चयन द्वारा भर्ती से भरा जायेगा। उसमें उपबन्ध (iii) यह प्रावधान करता है कि 20% पदों को परिशिष्ट-2 एवं 4 में निहित उपबन्धों के अनुसार राजस्व निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परिशिष्ट-5 में लिपिकीय श्रेणी सेवा से नायब तहसीलदार पद पर इस प्रकार की नियुक्ति की वैधानिक योजना निहित है। परिशिष्ट-5 की धारा-II (क), (ख) यह प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति राजस्व विभाग में स्थायी या प्रभार व्यवस्था पर कम से कम 5 वर्ष तक लिपिकीय श्रेणी के पद पर कार्य कर चुका हो, वह पात्र होगा। उक्त योजना की धारा-5 (घ)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह कहती है कि नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों की अंतिम चयन सूची में आपसी ज्येष्ठता के आधार पर होगी।

12. नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा के संचालन से सम्बन्धित नियमों में, जिन्हें 1980 के नियमों के नियम 6 (1) (क), (ii), नियम 13 तथा परिशिष्ट-5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बनाया गया है और जिन्हें *म.प्र. कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा में लिपिक वर्गीय सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नायब तहसीलदार के पदों को भरने हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा संचालन नियम, 1985* (संक्षेप में "1985 के नियम") कहा जाता है, उसमें नियम 4 के अधीन पात्रता मानदण्ड निर्धारित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, कलेक्टरगण, भू-अभिलेख एवं सेटेलमेंट आयुक्त तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय श्रेणी सेवा के सदस्य, जिन्होंने स्थायी या प्रभार व्यवस्था में कम से कम 5 वर्ष तक राजस्व विभाग में लिपिकीय श्रेणी के पदों पर कार्य किया हो, योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. 1980 के नियम तथा 1985 के नियम और उनमें निहित विभिन्न उपबन्धों का अवलोकन करने से निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं :

नियम 6 (1) (क) (ii) में	पात्र कर्मचारियों की श्रेणी को "लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारी" कहा गया है।

अनुसूची–**V** के खण्ड–2 (क) में	इसे **"**लिपिकीय श्रेणी सेवा**"** कहा गया है।
अनुसूची–**V** के खण्ड–5 में	प्रयुक्त शब्द है **"**लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारी ।
1985 के नियमों के नियम 4 में	प्रयुक्त शब्द है लिपिकीय श्रेणी सेवा

14. दोनों नियमों में कहीं भी ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो "लिपिकीय श्रेणी सेवा" अथवा "लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारी" की व्याख्या को उन संस्थाओं के कार्यालयों में कार्यरत किसी नामित वर्ग के लिपिकों तक ही सीमित या प्रतिबंधित करता हो, जिनका उल्लेख नियमों में किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अब यह देखा जाना शेष है कि "लिपिकीय श्रेणी सेवा" अथवा "लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारी" अथवा "लिपिकीय स्टाफ" शब्द को क्या किसी कठोर अथवा संकुचित अर्थ में लिया जाना आवश्यक है अथवा इसे व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि इसमें समस्त कर्मचारी सम्मिलित हों जो लिपिकीय कार्यों में संलग्न हैं। जहाँ तक नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति का संबंध है, 1980 के नियमों के नियम 6 में निहित वैधानिक योजना का उद्देश्य नायब तहसीलदार के पद को विभिन्न स्रोतों से भरना है, जिसमें न केवल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन अथवा राजस्व निरीक्षकों के संवर्ग से पदोन्नति सम्मिलित है, बल्कि इसका अभिप्राय विशेष रूप से निम्न श्रेणी के उन कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराना भी है, जो

लिपिकीय श्रेणी सेवाओं में संलग्न हैं। अतः जब नियमों का उद्देश्य सम्पूर्ण वर्ग अर्थात लिपिकीय श्रेणी सेवाओं से सम्बद्ध कर्मचारियों को लाभ पहुँचाना है, तो "लिपिकीय श्रेणी सेवा" अथवा "लिपिकीय श्रेणी का कर्मचारी/पद" शब्द को किसी संकुचित अथवा सीमित अर्थ में नहीं लिया जा सकता ताकि केवल कुछ वर्ग के लिपिकीय कर्मचारी/स्टाफ ही सम्मिलित हों। यदि ऐसा अभिप्रेत होता, तो नियम निर्माण प्राधिकारी को कोई बाधा नहीं थी कि वह केवल उन्हीं लिपिक वर्गों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता, जो नायब तहसीलदार के पद के विरुद्ध 10% सीधी नियुक्ति का लाभ पाने के पात्र होते। अतः जब नियमों में ऐसा कोई सीधी अथवा परोक्ष प्रावधान नहीं है और उद्देश्य 10% पदों पर सीधी भर्ती का अवसर उपलब्ध कराना है, तब यह माना जाना आवश्यक है कि "लिपिकीय श्रेणी सेवा" अथवा "लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारी/सेवा" में वे सभी कर्मचारी सम्मिलित होंगे जो लिपिक के रूप में कार्यरत हैं, लिपिकीय स्वरूप के कार्य करते हैं तथा समतुल्य वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी व्याख्या से ही नायब तहसीलदार के 10% पदों के विरुद्ध भर्ती की योजना का उद्देश्य और प्रयोजन सिद्ध होगा। यद्यपि इस न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार ने नियमों का अंग्रेज़ी संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि याचिकाकर्ता ने अपनी लिखित दलीलों के साथ दिनांक 18.4.1995 को अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु आवेदन (आई.ए. क्रमांक 654 दिनांक 19.4.1995) दायर किया, जिसमें उसने म.प्र. राजपत्र की छायाप्रति संलग्न की है, जो 19

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जुलाई 1991 को प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा 11 जुलाई 1991 की अधिसूचना से 1980 के नियमों में संशोधन प्रकाशित किया गया। 1980 के नियमों के अंग्रेज़ी संस्करण के नियम 6 के खण्ड (2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 10% पद राजस्व मंडल, आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालयों के लिपिकीय स्टाफ में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अतः अब यह पूर्णतया स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के 10% पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती का लाभ लिपिकीय स्टाफ को ही दिया जाना है, अर्थात वे सभी कर्मचारी जो लिपिकीय प्रकृति का कार्य कर रहे हैं, सीधी भर्ती हेतु सीमित प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे, जिसमें केवल लिपिकीय स्टाफ ही सम्मिलित हो सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ब्रैडमा ऑपरेटर का पद लिपिकीय पद कहा जा सकता है और क्या ब्रैडमा ऑपरेटर के रूप में कार्यरत कर्मचारी "लिपिकीय स्टाफ" अर्थात लिपिकीय श्रेणी सेवा से सम्बद्ध कर्मचारी माने जा सकते हैं। उत्तरवादियों ने अपने प्रतिउत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रैडमा ऑपरेटरों को मंत्रालयिक स्टाफ के समकक्ष माना गया है और 31 जनवरी 1984 को ही शासन ने ब्रैडमा ऑपरेटरों के कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह घोषित किया कि उनका कार्य लिपिकीय स्वरूप का है और इसी आधार पर उन्हें राजस्व निरीक्षक के कार्यकारी पदों के समकक्ष मानने का अधिकार नहीं है तथा उन्हें राजस्व निरीक्षक के समकक्ष वेतनमान का

अधिकार भी नहीं है। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने प्रतिउत्तर के साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय *संतोष गुप्ता (पूर्वोक्त)* भी प्रस्तुत किया है, जिसमें ब्रैडमा ऑपरेटर द्वारा वेतनमान के संबंध में उठाई गई मांग पर विचार किया गया था। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शासन के इस पक्ष पर विचार किया कि ब्रैडमा ऑपरेटर का कार्य उच्च श्रेणी लिपिक/टंकक के स्वरूप का है और उन्हें शासन के आदेश दिनांक 7.11.1983 द्वारा उच्च श्रेणी लिपिक के समकक्ष माना गया है और उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें 575-880 रुपये का वेतनमान दिया गया है, जो उच्च श्रेणी लिपिक हेतु स्वीकृत है। यह निर्णय दिया गया कि ब्रैडमा ऑपरेटर भी उसी वेतनमान के अधिकारी हैं, जो उच्च श्रेणी लिपिक को दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. *हरि नन्दन शरण भटनागर (पूर्वोक्त) के मामले में विचारार्थ उत्पन्न प्रश्न यह था कि प्रासंगिक नियमों में प्रयुक्त "ग्रेड ऑफ सुपीरियर सर्विस असिस्टेंट" की अभिव्यक्ति में क्या वे अधिकारी सम्मिलित होंगे जो समान वेतनमान में कार्यरत हैं। उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में इस प्रकार निर्णय दिया:*

"4.....

उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि नियम 7 में प्रयुक्त 'ग्रेड' शब्द

पद की स्थिति/स्तर का द्योतक है, न कि किसी वर्ग अथवा विशिष्ट वर्ग का।

उच्च न्यायालय के अनुसार:

"किसी विभाग में समान वेतनमान में कार्यरत सभी अधिकारी, यद्यपि वे भिन्न-भिन्न पदनाम वाले पदों पर कार्य कर रहे हों, एक ही ग्रेड के पद धारण करने वाले माने जाएंगे, क्योंकि उस विभाग में उनकी स्थिति समान होगी और एक-दूसरे के समकक्ष होगी।"

इस प्रकार यह निर्णय दिया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. उच्च न्यायालय ने 'ग्रेड' शब्द का शब्दकोशीय अर्थ 'पद, स्तर, मूल्य के अनुसार श्रेणी अथवा श्रेणी में स्थिति' बताया। हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह सही निष्कर्ष निकाला कि यह पद चयन पद था और वरिष्ठता मात्र पदोन्नति हेतु पर्याप्त योग्यता नहीं थी। सभापति को वरिष्ठ उच्च श्रेणी सहायक के दावों पर विचार करना था, किन्तु नियमों के अनुसार उसका चयन केवल उच्च श्रेणी सहायकों तक सीमित नहीं था। वह अन्य ऐसे व्यक्तियों के दावों पर भी विचार कर सकता था जो उसी ग्रेड में अर्थात समान वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनमें से उस व्यक्ति को चुन सकता था जिसे वह हर दृष्टि से अधीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने योग्य समझता। विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारी जो उच्च श्रेणी सहायक

के समान वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत थे, अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे।"

18. उपर्युक्त 1980 के नियमों एवं 1985 के नियमों की योजना का विश्लेषण तथा न्यायसंगत, उचित एवं तार्किक व्याख्या पर आधारित विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि "लिपिकीय श्रेणी सेवा" अथवा "लिपिकीय पद धारक कर्मचारी" के अंतर्गत निस्संदेह सभी वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे, चाहे उनके पदनाम कुछ भी हों, बशर्ते उनका कार्य लिपिकीय प्रकृति का हो।

19. उपर्युक्त विश्लेषण से अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रैडमा ऑपरेटर भी लिपिकीय स्टाफ का अंग हैं और राजस्व विभाग में कार्यरत लिपिकीय स्टाफ का अभिन्न हिस्सा हैं। अतः ब्रैडमा ऑपरेटर, जो विभिन्न राजस्व कार्यालयों में, जिनमें राजस्व मंडल, आयुक्त, कलेक्टर अथवा अधीनस्थ कार्यालय सम्मिलित हैं, कार्यरत हैं, वे नायब तहसीलदार के 10% रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र एवं योग्य थे, जैसा कि 1980 के नियमों के नियम 6 में परिकल्पित है। अतः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि उत्तरवादी क्रमांक 4 का चयन किसी प्रकार अवैध अथवा 1980 के नियमों में निहित प्रावधानों के विपरीत है, असंगत है और अस्वीकार योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में विभिन्न प्रार्थनाएँ की थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया गया, तथापि उत्तरवादी

क्रमांक 4 की नियुक्ति को निरस्त करने की कोई विशिष्ट प्रार्थना याचिका में नहीं की गई है।

21. अंत में, उत्तरवादियों ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि यदि विभाग में नायब तहसीलदार के 10% कोटे का निर्धारण स्वीकृत 920 पदों की संख्या के आधार पर किया जाए, तो यह 92 पदों के बराबर होता है। यद्यपि याचिकाकर्ता का दावा है कि 920 से अधिक पद दायित्वयुक्त थे, जिन्हें 10% कोटे के अंतर्गत निर्धारित किया जाना था, परंतु इस दावे का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी ओर उत्तरवादियों का पक्ष स्वीकार योग्य है और इस संबंध में उत्तरवादियों द्वारा किए गए स्पष्ट कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार केवल 92 पद ही 10% कोटे के अंतर्गत भरे जाने हेतु उपलब्ध थे, जिनमें आरक्षित श्रेणी के पद भी सम्मिलित थे। उत्तरवादियों/राज्य द्वारा अभ्यर्थियों की चयन सूची भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का क्रमांक 133 है। यह सूची स्पष्टतः योग्यता के आधार पर तैयार की गई है। अतः याचिकाकर्ता का चयन के आधार पर नियुक्ति का कोई दावा नहीं बनता क्योंकि वह सूची में काफी नीचे स्थान पर है और किसी भी परिस्थिति में उसे नियुक्ति हेतु निर्धारित 92 अभ्यर्थियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. परिणामस्वरूप, याचिका निराधार है। यह अस्वीकृत किए जाने योग्य है और तदनुसार अस्वीकृत की जाती है। तथापि, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Advocate Shraddha Raj Jyotishi